

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014—माघ 11, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 770-42-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जनवरी, 2014 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१४

[दिनांक ३० जनवरी, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ३१ जनवरी, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१४ है.

३१ मार्च २००३ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ४,२४,७९,२६,८३८ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चार सौ चौबीस करोड़ उन्यासी लाख छब्बीस हजार आठ सौ अड़तीस होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २००३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
	लोक ऋण (वित्त विभाग)			
		पूँजीगत	३,७५,४३,०३,३२८	३,७५,४३,०३,३२८
२१.	आवास एवं पर्यावरण विभाग	पूँजीगत	३३,२०७	३३,२०७
२३.	जल संसाधन विभाग	पूँजीगत	८०,९८५	८०,९८५
२४.	लोक निर्माण-सड़कें और पुल	राजस्व	३६,६८,४०,८९९	३६,६८,४०,८९९

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४४.	उच्च शिक्षा विभाग			
		राजस्व	२७,००,०००	२७,००,०००
५३.	नगरीय प्रशासन एवं विकास			
		राजस्व	३१,०००	३१,०००
६७.	लोक निर्माण—भवन निर्माण			
		राजस्व	१२,१९,३०,८८२	२०,०६,५३७
				१२,३९,३७,४१९
	योग :	{ राजस्व	४८,८८,०२,७८१	४७,०६,५३७
		{ पूंजीगत	०	३,७५,४४,१७,५२०
				३,७५,४४,१७,५२०
	कुल योग :		४८,८८,०२,७८१	३,७५,९१,२४,०५७
				४,२४,७९,२६,८३८

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 771-42-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 4 OF 2014

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2014

[Received the assent of the Governor on the 30th January, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st January, 2014.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2003 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4), Act, 2014.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Four hundred twenty four crores seventy nine lakhs twenty six thousand eight hundred and thirty eight shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2003 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Issue of Rs. 4,24,79,26,838 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2003.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act. Shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2003.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and Purposes	(3) Excess		
		Voted	Charged	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
Public Finance				
Debt	Capital	0	3,75,43,03,328	3,75,43,03,328
21.	Housing and Environment Deptt. Capital	0	33,207	33,207
23.	Water Resources Deptt. Capital	0	80,985	80,985
24.	Public Work R&B Revenue	36,68,40,899	0	36,68,40,899
44.	Higher Education Revenue	0	27,00,000	27,00,000
53.	Urban Administration and Development-Urban Bodies. Revenue	31,000	0	31,000
67.	Public Work Building Revenue	12,19,30,882	20,06,537	12,39,37,419
	Total .. { Revenue ..	48,88,02,781	47,06,537	49,35,09,318
	{ Capital ..	0	3,75,44,17,520	3,75,44,17,520
	Grand Total ..	48,88,02,781	3,75,91,24,057	4,24,79,26,838